न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:—130 / 2022 दायर दिनांक:—17.06.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 325

1.मोहन उम्र 60 साल
2.महेश उम्र 50 साल
3.उदय उम्र 52 साल
} पुत्र हुकम जाति जाट निवासी ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

————सायलान—03

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रमन जाति जाट निवासी एकोरासी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

——गैरसायलान—02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता सायलान
2. गैरसायलान न0 1 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 5-11-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उनवानी दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में विरूद्ध गैरसायलान मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, सायलान का दावा काफी सुदृढ है, सायलान को दावे में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सायलान व गैरसायलान सं0 1 एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं जो निम्न प्रकार हैं—घूरी फौत— बुद्धि फौत, हुकम फौत। बुद्धि — भग्गो पुत्री, रमन पुत्र फौत, हुकम—मोहन, महेश, उदयसिंह पुत्र। रमन—राधेश्याम पुत्र, शशि पुत्री, वीरवती पुत्री, भूरी पुत्री, भनेश पुत्री।

मुताबिक सजरा मुतजिका [illegible] 2 [illegible]घूरी के दो पुत्र बुद्धि व हुकम थे, गैरसायल नं0 1 राधेश्याम, [illegible] तथा भग्गो, शशि, वीरवती, भूरी, भनेश ने अपने हिस्से की [illegible] राधेश्याम का नाम [illegible] कर दिया है, इसलिए गैरसायल नं0 1 ही बुद्धि [illegible] एकमात्र जायज का[illegible] वारिस है तथा हुकम के सायल नं0 1 ता 3 मोहन, महेश, उदयसिंह जायज कानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with OKEN Scanner

वारिसान हैं, जो उनके तर्के पर काबिज हैं। साबिक खसरा नं0 38 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा, 61 रकवा 12 विस्वा, 63 रकवा 19 विस्वा, 224 रकवा 05 विस्वा, 337 रकवा 3 बीघा 15 विस्वा, 348 रकवा 1 बिघा 2 विस्वा, 440 रकवा 1 बीघा 13 विस्वा, 42 रकवा 3 विस्वा, 443 रकवा 13 विस्वा, 27 रकवा 8 विस्वा, 201 रकवा 1 बीघा, 452 रकवा 3 बीघा 2 विस्वा कुल किता 12 कुल रकवा 16 बीघा 1 विस्वा वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन सिटी स्थित है। उक्त आराजीयात सायलान के बाबा गैरसायल नं0 1 के बडबाबा घूरी व मूला की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी। आराजीयात मुतजिका मद नं0 4 प्रार्थना पत्र के हाल भू प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नं0 160 रकवा 22 ऐयर, 161 रकवा 3 ऐयर, 164 रकवा 01 ऐयर, 165 रकवा 09 ऐयर, 272 रकवा 16 ऐयर, 273 रकवा 01 ऐयर, 274 रकवा 12 ऐयर, 321 रकवा 06 ऐयर, 36 रकवा 07 ऐयर, 56 रकवा 35 ऐयर, 729 रकवा 11 ऐयर, 730 रकवा 35 ऐयर, 733 रकवा 41 ऐयर, 734 रकवा 01 ऐयर, 735 रकवा 40 ऐयर, 763 रकवा 70 ऐयर, 765 रकवा 59 ऐयर कुल किता 18 कुल रकवा 412 है0 वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन कायम किये हैं, जिसमें सायलान का 1/4 हिस्सा व गैरसायल नं0 1 का 1/4 हिस्सा व मूला के वारिसों का 1/2 हिस्सा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बिल्कुल सही दर्ज किया है। साबिक खसरा नं0 269/17 रकवा 3 बीघा, 380/1 रकवा 16 विस्वा, 719/1 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, 438 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 419/6 रकवा 55 विस्वा, 420/2 रकवा 10 विस्वा कुल किता 5 कुल रकवा 9 बीघा वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन स्थित है। उक्त आराजीयात गैरसायल नं0 1 के बाबा बुद्धि के नाम दर्ज रही है तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2026–2029 में बुद्धि पुत्र घूरी का नाम दर्ज है।

हाल भू प्रबंध विभाग ने आराजीयात मुतजिका मद नं0 6 प्रार्थनापत्र के हाल खसरा नं0 369 रकवा 10 ऐयर, 666 रकवा 74 ऐयर, 760 रकवा 22 ऐयर, 819/985 रकवा 29 ऐयर, 838 रकवा 36 ऐयर कुल किता 5 कुल रकवा 1.71 है0 वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन कायम किए हैं, जो गैरसायल नं0 1 के नाम हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत [illegible] साबिक खसरा नं0 380 से हाल खसरा नं0 731/996 रकवा [illegible] घूरी के दो पुत्र बुद्धि व हुकम थे, तथा बुद्धि बडा था, हुकम [illegible] बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था तथा आराजीयात मुतजिका मद नं0 6 प्रा[illegible]नापत्र को बुद्ध ने अपने पिता घूरी का नाम दर्ज नहीं कर उक्त आराजीयात को बुद्धि ने अपने नाम बडा होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कारण दर्ज करवा ली तथा उक्त आराजीयात पर शुरू से ही सायलान के पिता हुकम व बुद्धि का बराबर हिस्सें पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग घूरी के समय से ही चला आ रहा है। सायलान का पिता हुकम बहुत ही सीधा–साधा व्यक्ति था तथा सायलान का पिता बुद्धि से पहले फौत हो गया था तथा बुद्धि के नाम ही उक्त आराजीयहात चली आ रही थी, जबकि सायलान का उक्त आराजीयात में शुरू से ही कब्जा घूरी द्वारा स्वअर्जित भूमि थी तथा सायलान की उक्त भूमि पैत्रिक होने के कारण सायलान का उक्त आराजीयात में वाई वर्थ कानूनन 1/2 हिस्सा होता है। बुद्धि का पुत्र रमन बुद्धि से पहले फौत हो गया था तथा रमन के फौत हो जाने के कारण उक्त भूमि बुद्धि के फौत होने के पश्चात सीधे ही गैरसायल नं0 1 राधेश्याम व बुद्धि की पुत्री भग्गो व रमन की पुत्री शशि, वीरवती, भूरी, भनेश के नाम विरासत का नामान्तकरण खुल गया था, लेकिन भग्गो व रमन की लडकियों ने अपने हिस्से का हकत्याग गैरसायल नं0 1 के हक में कर दिया था, इसलिए उक्त आराजीयात बुद्धि के पश्चात सीधे ही गैरसायल नं0 1 की खातेदारी में दर्ज हो गई, जबकि उक्त आराजीयात पर 1/2 हिस्सें में सायलान का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। साबिक खसरा नं0 380 से हाल खसरा नं0 7311/996 रकवा 38 ऐयर कायम किया है जो गैरसायल नं0 1 की खातेदारी में 1/2 दर्ज कर दिया है तथा 1/2 हिस्सा जो सायलान के कब्जे व उपयोग उपभोग का चला आ रहा है, उसको भूप्रबन्ध विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया है जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

आराजीयात मुतजिका मद नं0 6 प्रार्थना पत्र सायलान के बाबा घूरी की कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि रही है, लेकिन सायलान के पिता के खत्म होने के पश्चात सायलान का उक्त भूमि पर शुरू से ही कब्जा काश्त होने के कारण कभी भी सायलान के दिमाग में यह आशंका नहीं हुई कि गैरसायल नं0 1 सायलान को आगे जाकर कभी भी उक्त भूमि की दुरूस्ती के बाबत् कानूनी कार्यवाही करने के लिए नहीं सोचा। आराजीयात मुतजिका मद नं0 7 प्रार्थनापत्र गैरसायल नं0 1 की खातेदारी में होने के कारण तथा [illegible] को छू जाने के कारण गैरसायल नं0 1 के मन में [illegible] 1 सायलान की उक्त पैत्रिक आराजीयात से [illegible] हो रहा है तथा दीगर व्यक्तियों को रहन बय कर सायलान को बेदखल क[illegible] को उतारू हो रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with OKEN Scanner

बाका दिनांक 09.052024 सुबह 9 बजे का है कि गैरसायल नं0 1 ने कहा
कि मैं तुम्हे आराजीयात मुतजिका मद नं0 7 प्रार्थनापत्र में 1/2 हिस्से से बेदखल
करूंगा तथा तुम्हें कब्जा काश्त नहीं करने दूंगा। तब सायलान ने कहा कि भाई यह
जमीन तो हम अपने बाबाओं के समय से काश्त करते चले आ रहे हैं तथा अब तू
हमें इस तरह बेदखल करने की धमकी क्यों दे रहा है। तब गैरसायल नं0 1 ने कहा
कि उक्त भूमि मेरी खातेदारी में दर्ज है, इसलिए मैं तुम्हे बेदखल करूंगा। तब
सायलान ने दिनांक 09.05.2024 को ही हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की नकल ली
तब पता चला कि वास्तव में ही उक्त आराजीयात गैरसायल नं0 1 की खातेदारी में
दर्ज हो रही है। तब सायलान ने गैरसायल नं0 1 से कहा कि भाई आप बेईमानी मत
करो तथा अपने बुजुर्गो के समय से जो कब्जा चला आ रहा है उसी हिसाब से आप
हमारे नाम 1/2 हिस्से पर रजिस्ट्री करवा दो। लेकिन गैरसायल नं0 1 ने स्पष्ट
धामकी दी कि मैं ना तो तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कराउंगा तथा तुम्ह उक्त भूमि से
बेदखल करूंगा एवं दीगर व्यक्तियों को रहन बचय करके रहूंगा। इसलिए यह
प्रार्थनापत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

गैरसायल नं0 1 ने सायलान को अपनी पैत्रिक आराजीयात मुतजिका मद
नं0 6 व 7 प्रार्थनापत्र से बेदखल कर दिया व दीगर व्यक्तियों को रहन बय कर
दिया तो पक्षकारान में मुकदमाबाजी बढेगी सायलान बर्बाद हो जावेंगे। सायलान को
गॉव छोडकर निकलना पडेगा तथा सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति
द्रव्य में भी संभव नहीं है। इसलिए गैरसायल नं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा
पाबंद किये जाने से उन्हे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। दौराने दावा यदि
गैरसायलान को पाबंद नहीं फरमाया गया तो गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी
मंसूबों में कामयाब हो जायेंगे जिससे सायलान का दावा पेश करने का मकसद ही
फौत हो जावेगा, सायलान के हकतलफी होगी। प्रथम दृष्टय केस सुविधा का
संतुलन, अपूर्तनीय क्षति, तीनों ही बिन्दू सायलान के पक्ष में बखूबी रूप से प्रमाणित
है।

अतः प्रार्थनापत्र अ[illegible] निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है
कि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायलान स[illegible] प[illegible]या जाकर गैरसायलान को
दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस[illegible] प्रक[illegible]बंद [illegible]या जावे कि वह
सायलान को आराजीयात हाल खसरा नं0 369 रक[illegible] 10 ऐयर, 666 रकवा 74 ऐयर,
760 रकवा 22 ऐयर, 8919/98 रकवा 9 ऐयर, 838 रकवा 36 ऐयर कुल किता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकवा 1.71 है0 वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन एवं आराजी हाल खसरा नं0 731/996 रकबा 38 ऐयर वाकेतन ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावें, उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन वय नहीं करें, ना ही उक्त भूमि से सायलान को बेदखल ही करें, ना ही जबरन कब्जा करे, ना ही करावें। उक्त भूमि का सायलान को शांतिपूर्वक काश्त एवं उपयोग उपभोग करने देवें। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे कि सायलान के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायलान उक्त आराजीयात के संबंध में दौराने दावा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 02 को जबाव हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जबाव पेश नही किये जाने पर आदेशिका दिनांक 24.5.2024 द्वारा गैरसायलान 1 ता 2 का जबाव बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2030–33 खाता संख्या 60 वाके ग्राम एकोरासी, खसरा गिरदावरी सं0 2026 – 29 व 2030–33 वाके ग्राम एकोरासी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 99 वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा अपने बहस कथन में कहा कि सायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। उक्त विवादित आराजीयात में सायलान कोई सहखातेदार भी नहीं है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2030–33 खाता संख्या 60 वाके ग्राम एकोरासी, खसरा गिरदावरी सं0 2026 – 29 व 2030–33 वाके ग्राम एकोरासी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 99 में भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2030–33 खाता संख्या 60 वाके ग्राम एकोरासी, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

गिरदावरी सं0 2026 – 29 व 2030–33 वाके ग्राम एकोरासी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 99 वाके ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन में खातेदार गैरसायलान जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि जमाबन्दी फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2030–33 खाता संख्या 60 वाके ग्राम एकोरासी, खसरा गिरदावरी सं0 2026 – 29 व 2030–33 वाके ग्राम एकोरासी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं0 2069–72 खाता सं0 99 ग्राम एकोरासी तहसील हिण्डौन अंकित है एवं सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है सायलान वकील द्वारा प्रकरण में उक्त विवादित आराजी को पैतृत सम्पत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है उक्त आराजी स्व अर्जित सम्पत्ति है और स्व अर्जित सम्पत्ति में स्वयं का अधिकार होता है। जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्वर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन

Scanned with OKEN Scanner